कार्यालयः प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़।

फोन नं0. 05463-235020, फैक्स नं0-05463-235194,
वेबसाइट–www.gmcazamgarh.com

संख्या– 1134/रा0मे0का0आ0/कैम्प/2025

दिनांक–21/08/2025

सेवायोजन विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या–I/868657/2025/71–1005(001)/20/2021 पार्ट–1 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ दिनांक–03.02.2025 एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पृष्ठांकन संख्या–एम0ई0–1/ 2025/639–42 दिनांक–05 मार्च, 2025 के द्वारा दिये निर्देश के कम में शासनादेश 100 बिन्दु रोस्टर के अनुसार राजकीय मेडिकल कालेज एवं सुपर फैसेलिटी हास्पिटल, आजमगढ़ में संचालित कालेज ऑफ नर्सिंग, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में आई0एन0सी0 मानकों की पूर्ति एवं छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन के दृष्टिगत निम्नलिखित रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे/नियुक्ति किये जाने हेतु आवेदन आमन्त्रित किया जाता है। जिसका साक्षात्कार (Walk-in-interview) के माध्यम से दिनांक–10.09.2025 (बुधवार) को प्रातः 10.00 बजे से 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आयोजित किया गया है। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है–

College Of Nursing, Government Medical College, Azamgarh.	**Associate Professor**				**Tutor**			
	GEN	OBC	SC	EWS	GEN	OBC	SC	EWS
	01	—	01	—	05	—	03	—
Total	**01**	—	**01**	—	**05**	—	**03**	—

उक्त संविदा पदों पर चयन की प्रकिया चयन समिति की संस्तुति के आधार पर पूर्ण की जायेगी। रिक्त पदों पर समय–समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया गया है। पदों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है।

शैक्षणिक अर्हता/अनुभव–

S.N.	**Post Name**	**Education Qualification & Experience**
1	Associate Professor	Essential Qualification: M.Sc. (Nursing) Experience: Total 08 years experience with M.Sc. (Nursing) including 05 years teaching experience, Ph.D. (Nursing) Is desirable
2	Tutor	M.Sc. (Nursing) Preferable, Experience-B.Sc. (Nursing)/P.B.B.Sc. (Nursing) with 01 Year experience

नियुक्ति संबंधी समस्त शर्ते कालेज की वेबसाइट (www.gmcazamgarh.com) पर एवं महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ की वेबसाइट www.updgme पर प्रदर्शित है।

21/08/25

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।

कार्यालयः प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़।

फोन नं0. 05463-235020, फैक्स नं0-05463-235194,
वेबसाइट–www.gmcazamgarh.com

संख्या– 1134/रा0मे0का0आ0/कैम्प/2025 दिनांक– 21/08/2025

सेवायोजन विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या–I/868657/2025/71–1005(001)/20/2021 पार्ट–1 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ दिनांक–03.02.2025 एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पृष्ठांकन संख्या–एम0ई0–1/ 2025/639–42 दिनांक–05 मार्च, 2025 के द्वारा दिये निर्देश के कम में शासनादेश 100 बिन्दु रोस्टर के अनुसार राजकीय मेडिकल कालेज एवं सुपर फैसेलिटी हास्पिटल, आजमगढ़ में संचालित कालेज ऑफ नर्सिंग, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में आई0एन0सी0 मानकों की पूर्ति एवं छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन के दृष्टिगत निम्नलिखित रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे/नियुक्ति किये जाने हेतु आवेदन आमन्त्रित किया जाता है। जिसका साक्षात्कार (Walk-in-interview) के माध्यम से दिनांक–10.09.2025 (बुधवार) को प्रातः 10.00 बजे से 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आयोजित किया गया है। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है–

College Of Nursing, Government Medical College, Azamgarh.	Associate Professor				Tutor			
	GEN	OBC	SC	EWS	GEN	OBC	SC	EWS
	01	—	01	—	05	—	03	—
Total	**01**	**—**	**01**	**—**	**05**	**—**	**03**	**—**

उक्त संविदा पदों पर चयन की प्रकिया चयन समिति की संस्तुति के आधार पर पूर्ण की जायेगी। रिक्त पदों पर समय–समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया गया है। पदों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है।

शैक्षणिक अर्हता/अनुभव–

S.N.	Post Name	Education Qualification & Experience
1	Associate Professor	Essential Qualification: M.Sc. (Nursing) Experience: Total 08 years experience with M.Sc. (Nursing) including 05 years teaching experience, Ph.D. (Nursing) Is desirable
2	Tutor	M.Sc. (Nursing) Preferable, Experience-B.Sc. (Nursing)/P.B.B.Sc. (Nursing) with 01 Year experience

आवेदन शुल्क– अभ्यर्थियों को रू 2000/– आवेदन शुल्क डी0डी0 के रूप में जमा करना होगा, जो प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के नाम से देय होगा एवं अन्य किसी माध्यम से जमा किया गया शुल्क मान्य नही होगा। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को पृथक–पृथक आवेदन प्रपत्र भरना होगा और आवेदन शुल्क देना होगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैः–

1– संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकों को शासनादेश संख्याः 57/2022/I/156557/2022/71– 1005 (001)/20/2021, दिनांक 15.04.2022 में निर्धारित शर्ते एवं प्रतिबंध लागू रहेंगे।

2– वेतन के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नही होगा।

3– नर्सिंग शिक्षकगण स्थानांतरित नही किए जायेंगे।

21/08/25

4– संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकगण यथा एसोसिएट प्रोफेसर को रू0 80,000/– एवं ट्यूटर को रू0 45,000/– का नियत मानदेय प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।

5– संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकों को वही मानदेय प्रदान किया जायेगा जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।

6– आयु की गणना उ0 प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार रहेगी।

7– नर्सिंग शिक्षको की ड्यूटी 08 घण्टे की होगी, किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिवस के वेतन की धनराशि प्रदान नही की जायेगी।

8– नर्सिंग शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात् देय होंगे।

9– यदि कोई नर्सिंग शिक्षक बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

10– नर्सिंग शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 02 वर्ष का होगा। 02 वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात् लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित नर्सिंग शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा को पुनः 01 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

11– संविदा पर नियुक्त नर्सिंग शिक्षकों को आदेश जारी होने के 01 माह के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।

12– सेवा संतोषजनक न पायेजाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

13– संविदा छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।

14– संविदा कार्मिक की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।

15– एसोसिएट प्रोफेसर एवं ट्यूटर के पदों पर "Walk-in-Interview" के माध्यम से चयन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।

16– साक्षात्कार के समय समस्त वांछित मूल अभिलेख तथा उनकी एक स्व प्रमाणित (Self Attested) छायाप्रति एवं फोटो अवश्य लायें।

17– साक्षत्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

18– सरकार/आई0एन0सी0 के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का ही शैक्षणिक अनुभव मान्य होगा।

19– आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) प्रमाण पत्र 01 अप्रैल 2025 के बाद का ही स्वीकार होगा।

20– अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र दिनांक–01 अप्रैल, 2025 के बाद का मान्य होगा।

21– उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार को अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण अनुमन्य होगा।

22– संविदा पर कार्यरत नर्सिंग शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नही होगा।

23– साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगें कि "उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद पचलित नही है और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी"।

24– इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र कालेज की वेबसाइट (www.gmcazamgarh.com) पर फार्म निर्धारित प्रारूप पर दिनांक–08.09.2025 की सायं–05.00 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं।

21/08/25

25– किसी संस्थान में कार्यरत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

26– अभ्यर्थी साक्षात्कार (Walk-in-interview) में अपने समस्त मूल पत्रों के साथ–साथ शैक्षणिक योग्यता/अनुभव/आधार कार्ड/पैन कार्ड/जाति प्रमाण पत्र, दो फोटो तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों की छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

21/08/25

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।

संख्या– 1134/रा0मे0का0आ0/कैम्प/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ।

2–महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3–कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ/उ0प्र0 आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा/अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ।

4–प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानुपर/मेरठ/आगरा/झॉसी/गोरखपुर/प्रयागराज/अम्बेडकर नगर/कन्नौज/बॉदा/जालौन/सहारनपुर एवं बदायूॅ को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।

5–प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बस्ती/बहराईच/फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर/प्रतापगढ़/एटा/मिर्जापुर/सिद्धार्थनगर/हरदोई/गाजीपुर/फतेहपुर/देवरिया/जौनपुर।

6–वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

7–मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

8–उप प्रधानाचार्या, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

9–प्रधानाचार्या, कालेज ऑफ नर्सिंग, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

10–चिकित्सा अधीक्षक प्रथम/द्वितीय, राजकीय मेडिकल कालेज एवं सुपर फैसेलिटी हास्पिटल, आजमगढ़।

11–प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

12–समस्त सदस्य चयन समिति, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

13–राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट हेतु।

14–सम्बन्धित पत्रावली।

21/08/25

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।

१२